फर्द अहकाम

बनाम

ायालय AC-II

ख्या TiNo - 58/2023

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		संख्या 13 के विरुद्ध दिनांक 16/6/24 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब नां दिनांक 28/05/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
	28.05.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षीय बहस प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र T I दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
		पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षीय बहस T I सुनी जा चुकी है। आज पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T I नियत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। मूलवाद का भी	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अवलोकन किया गया। मूलवाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। मूलवाद का निस्तारण प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाए जाने पर Final Decree जारी होने से होगा। इस दौरान वादग्रस्त आराजीयात को यदि बेचान आदि होता है या मौके की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो न केवल हस्तगत वाद के निर्धारण में समस्या आएगी वरन वाद बहुलता भी बढ़ेगी। वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा पूर्व में भी बेचान हो चुका है एवं ~~क्रेता~~ क्रेता को वाद में पक्षकार भी बनाया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय यह उचित समझता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वादग्रस्त आराजीयात को वाद के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

बनाम

म न्यायालय

स संख्या

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		निस्तारण तक संरक्षित बनाए रखना आवश्यक है अन्यथा वादी का वाद दायर करने का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.05.2023 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु एवं किसी भी प्रकार का बेचान न करने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	